अध्याय 3

मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य

कक्षा में दो छात्र–छात्राएँ आपस में बहस कर रहे थे। लता का कहना था कि मैं रोज इसी जगह पर बैठती हूँ आज भी यहीं पर बैठूँगी परंतु तुषार कह रहा था कि मैं यहीं पर बैठूँगा, मुझे भी यहाँ बैठने का अधिकार है। ठीक उसी समय शिक्षिका कक्षा में आईं दोनों विद्यार्थियों से बहस का कारण पूछा। दोनों की बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा, "सभी विद्यार्थियों को विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। किसी के लिए भी कक्षा में बैठने का कोई विशेष स्थान निश्चित नहीं किया गया है, इसलिए कोई भी विद्यार्थी कक्षा में कहीं भी बैठकर अध्ययन कर सकता है। इसलिए लता, तुषार के स्थान पर और तुषार, लता के स्थान पर बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। चूँकि तुषार आज कक्षा में पहले आया है, इसलिए उसे अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी बैठने का अधिकार है।''

ऐसे सार्वजनिक स्थानों की सूची बनाइए जहाँ आप समान अधिकार का प्रयोग करते हैं–

क्रमांक	सार्वजनिक स्थान	समान अधिकार का प्रयोग
1.	रेल्वे टिकट के लिए कतार में खड़े व्यक्ति	सब पर सामान्य नियम लागू होगा जो कतार में पहले खड़ा है उसे पहले टिकट मिलेगी।
2.		
3.		
4.		
5.		

पिछले अध्याय में हमने संविधान के बारे में पढ़ा है। इस अध्याय में हम संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। ये अधिकार निम्नलिखित हैं–

नागरिकों के मौलिक अधिकार

1. समानता का अधिकार : –

इस मौलिक अधिकार का अर्थ है देश के कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं। जैसे– कुछ समय पहले एक अधिकारी पर अपराध के संबंध में मुकदमा चला। जब तक मामला अदालत में था उन्हें सामान्य नागरिक की तरह अदालत में जाना पड़ता था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी अधिकारी या राजनीतिज्ञ अपने पद का प्रभाव दिखाकर अदालत को प्रभावित कर सके।

संविधान में देश के सभी नागरिकों के लिए समता की बात कही गई है। उदाहरण के लिए नौकरी में (चाहे वह सरकारी नौकरी हो या गैर सरकारी) व्यक्ति को जाति, धर्म के आधार पर कोई यह नहीं कह सकता कि आप किसी जाति विशेष के हैं, इसलिए आपको नौकरी नहीं प्रदान की जाएगी।

संविधान में छुआछूत को कानूनी रूप से अपराध घोषित किया गया है। किसी भी नागरिक को सार्वजनिक संस्थाओं जैसे– अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, दर्शनीय स्थलों, इमारतों, पर्यटन स्थल में प्रवेश एवं इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है।

यहाँ समता के कौन–से अधिकारों पर चर्चा की गई है? संविधान की उद्देशिका में समता के बारे में क्या कहा गया है ?

नीचे लिखी बातों में से कौन–कौन–सी बातें समता के अधिकारों का हनन हैं। चर्चा कीजिए। यह भी चर्चा करें कि ये क्यों समता का हनन मानी जाती हैं ?

– कुछ घरों में कुछ खास समुदाय के लोगों के लिए अलग से बर्तन रखे जाते हैं।
– सार्वजनिक स्रोत से पानी भरते समय कुछ लोग अपना बर्तन दूसरे के बर्तन से छू जाने पर एतराज करते हैं ।

2. स्वतंत्रता का अधिकार :–

दो व्यक्तियों के स्वभाव, चरित्र और दृष्टिकोण में अंतर होता है। अतः उनके क्रियाकलापों में भिन्नता होगी। सभी व्यक्ति एक ही व्यवसाय व विचार में रुचि नहीं रख सकते। उन्हें इच्छानुसार मौके नहीं मिलते। अतः उन्हें अपने विचार, निवास, व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है।

हमारे संविधान में व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। उसे मनमाने ढ़ंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसे देश के कानून के अनुसार एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी अपराध के लिए बंदी बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी आने–जाने का एवं निवास करने का अधिकार है। जैसे छत्तीसगढ़ से अधिकांश व्यक्ति काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे राज्यों से कई व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आकर निवास करते हैं।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार :–

शोषण का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की मेहनत और उसकी मजबूरी का गलत फायदा उठाना और उसकी मेहनत की उचित मजदूरी न देना। हमारे समाज में कई प्रकार के शोषण दिखाई देते हैं। जैसे – दिनभर कार्य करने के उपरान्त औरत को पुरुष से कम मजदूरी दी जाती है। बड़े रेलवे स्टेशनों पर या बस स्टेंड़ के आस–पास छोटे–छोटे बच्चों का पढ़ने–खेलने की उम्र में कूड़े बीनने के लिए बाध्य हैं और जिसके कारण वे तरह–तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। यह भी शोषण का एक रूप है।

संविधान में यह उल्लेख है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी कारखाने या खदान में कोई खतरेवाला कार्य नहीं करवाया जा सकता। बीड़ी बनाना, पटाखा बनाना, कालीन बुनना, बोझा ढोना आदि कार्यों में बच्चों को लगाने पर प्रतिबंध है।

उदाहरण के लिए मान लो किसी मजदूर ने गॉव में किसी साहूकार से कर्ज लिया है और वह उसे वापस नहीं कर पाती। यदि साहूकार उसे अपने खेतों में काम करने के लिए बाध्य करता है जिससे कि वह इस काम के जरिए कर्ज चुका सके तो इसे बंधुआ मजदूर कहा जाएगा।

पता लगाकर सूची बनाइए कि आपकी उम्र के बच्चे किस तरह की मजदूरी के कार्य करते हैं।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार :–

भारत में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। इन सभी लोगों को अपनी पसंद से धर्म मानने और उनके रीति–रिवाजों

का पालन करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार–प्रसार कर सकता है। सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती। सरकार के लिए सभी धर्म समान होते हैं। किसी भी स्कूल,कॉलेज और तकनीकी शिक्षा केन्द्र आदि में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए भी कुछ सीमाएँ निर्धारित की गई हैं ताकि लोग धर्म के नाम पर अमानवीय तथा रुढिवादी कार्य न करें।

उदाहरण के लिए, कुछ लोग अज्ञानतावश बच्ची को जन्म लेते ही मार डालते हैं। मान लो कोई कहे कि उन्होंने बच्ची को इसलिए मार डाला क्योंकि यह उनके धार्मिक रिवाज का हिस्सा है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। धर्म के नाम पर बाल–हत्या जैसा अपराध नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सती प्रथा का पालन नहीं किया जा सकता।

5. शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार :–

भारत में विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले एवं धर्म माननेवाले लोग रहते हैं। अपनी–अपनी संस्कृति होती है। हमारा संविधान इन सभी को उनकी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समूहों को अपने धर्म एवं भाषा के आधार पर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय आदि स्थापित करने एवं संचालित करने की स्वतंत्रता है। इन संस्थाओं को शासन की शर्तें पूरी करने पर बिना किसी भेदभाव के शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है।

अल्पसंख्यक समूहों को आम तौर पर भाषा और धर्म के आधार पर तय किया जाता है। कोई अल्पसंख्यक हैं या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि वे कहाँ रहते हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में मराठी बोलनेवाले लोग अल्पसंख्यक नहीं माने जाएँगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में वे अल्पसंख्यक माने जाएँगे।

क्या 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं ? अपने आस–पास पता कर शिक्षक से चर्चा कीजिए।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार –

इस अधिकार के तहत प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में जाने का अधिकार है। नागरिकों को प्राप्त यह मूल अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिकार के अंतर्गत हमारे अन्य अधिकारों की रक्षा होती है। यदि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन्हें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है।

यदि लोगों के किसी समूह के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो हर प्रभावित व्यक्ति को अलग से मुकदमा दायर करने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति या संस्था लोगों के इस समूह की तरफ से सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है। इस प्रकार के मुकदमे को जनहित याचिका या लोकहित के मुकदमे कहा जाता है।

जनहित याचिका का एक उदाहरण

मान लो कि सरकार किसी नदी पर एक बाँध बनाने का निर्णय करती है और मान लो यदि बाँध बना तो करीब पचास हजार लोगों के खेत या घर डूब जाएँगे। उनकी भूमि और आजीविका चली जाएगी। उनकी जीवन प्रणाली पर गम्भीर असर होगा। यह उन लोगों के जीवन की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का, देश के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता का और अपनी रुचि का कोई धंधा अपनाने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में इन लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है। पचास हजार लोगों की तरफ से एक ही मुकदमा दायर किया जा सकता है।

एक सत्र न्यायाधीश दुकालू नामक एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा सुन रहे थे। तब उन्हें यह संदेह हुआ कि यह मानसिक बीमारी से पीड़ित है। अतः इसे इलाज हेतु मानसिक चिकित्सालय में भेज दिया गया। चिकित्सालय में 6 माह रहने के बाद अधीक्षक ने अदालत को सूचना दी कि इस आदमी की तबियत ठीक हो गई है, परंतु न्यायाधीश ने उसे मुक्त करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाया। दुकालू को इस मानसिक चिकित्सालय में छः साल और रहना पड़ा। दुकालू के लिये एक संस्था ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। अदालत में यह सिद्ध हुआ कि दुकालू की शारीरिक स्वतंत्रता का हनन हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि वह उसे उचित मुआवजा दे। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि ''ये मुआवजा दुकालू के जीवन के बीते हुए समय को नहीं लौटा सकते, जो उसने यातना के बिताए हैं।''

नागरिकों के मूल कर्त्तव्य :–

जिस प्रकार हमारे मौलिक अधिकार हैं वैसे ही हमारे कर्त्तव्य भी हैं। हमारे आस–पास रहने वाले लोगों के प्रति हमारी ये जिम्मेदारियाँ हैं कि अधिकारों को पाने के लिए हमें कुछ कर्त्तव्य निभाने पड़ते हैं। संविधान में निम्नलिखित कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है –

मूल कर्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शो,संस्थाओं,राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे ;
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे ;
3. भारत को प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे ;
4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें ;
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म,भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हैं ;
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे ;
7. प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे ;
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मावनवाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे ;

10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।
11. 6से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर अभिभावकों द्वारा प्रदान करना।

संदर्भ – भारत का संविधान (2005) भारत सरकार,विधि और न्याय मंत्रालय।

अभ्यास के प्रश्न

Q86TRY

1. सत्य एवं असत्य लिखिए –

1. किसी विशेष जाति या धर्म को मानने वाले को ही नौकरी मिलती हैं।
2. देश के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति निवास कर सकता हैं।
3. सार्वजनिक स्थलों का उपयोग हम समान रुप से कर सकते हैं।
4. समूह के अधिकारों का उलंघन होने पर जनहित याचिका दायर की जा सकती हैं।

2. निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़कर लिखिए कि इन व्यक्तियों के किन मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है:–

– यदि किसी कारखाने में 12 वर्ष के बच्चों से कार्य कराया जाता है।
– बिना कारण किसी को गिरफ्तार करना और हथकड़ी में बाँधकर ले जाना।
– एक जैसे कार्य के लिए महिला श्रमिक को पुरुष श्रमिक से कम मजदूरी दिया जाना।
– शांतिपूर्वक जुलूस निकालने से रोकना।

3. प्रश्नों के उत्तर लिखिए –

1. मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? लिखिए।
2. हमें प्राप्त मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए, और किसी एक मौलिक अधिकार का वर्णन कीजिए।
3. शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार से आप क्या समझते हैं?
4. स्वतंत्रता के अधिकार को उदाहरण द्वारा समझाइए ?
5. किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसे क्या करना चाहिए।
6. एक विद्यार्थी के रूप में आप किन–किन कर्तव्यों का पालन करेंगे ?
7. 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखाने में काम करवाना किस अधिकार के अन्तर्गत प्रतिबंधित है ?
8. मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अन्तर है ?

योग्यता विस्तार –

- चर्चा कीजिए कि विद्यालय के प्रति आपके क्या अधिकार एवं कर्तव्य हैं।
- राजू शहर की भीड़–भाड़ और प्रदूषण से परेशान होकर वापस अपने गाँव निवास करने के लिए जाना चाहता था लेकिन कुछ लोग उसे बलपूर्वक ऐसा करने से रोकते हैं। बताइए ऐसा करने से राजू के किस मौलिक अधिकार का हनन होगा।